राजस्थान सरकार

वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक : प.13(30)वित्त/राजस्व/76 लूज   जयपुर, दिनांक : 07.06.2021

आदेश

राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार के राज्य बीमा विभाग की 31 मार्च, 2017 को बीमा निधि की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित बोनस घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1 31.03.2017 को प्रवृत उन समस्त सावधि समाश्वासन, संविदाओं पर जो 01.04.2016 को या उसके पश्चात् अथवा प्रारंभ की तारीख को, जो भी बाद में हो और 31.03.2017 के पूर्व स्वीकृत हुई हो, प्रत्येक समाश्वासन वर्ष की बाबत् पूरी बीमाकृत राशि के लिए, बीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, के प्रत्येक हजार पर 90/- रूपये प्रतिवर्ष का साधारण प्रतिवर्ती (रिवर्सनरी) बोनस।

2 31.03.2017 को प्रवृत उन समस्त आजीवन समाश्वासन संविदाओं पर जो 01.04.2016 को या उसके पश्चात् अथवा प्रारंभ की तारीख को, जो भी बाद में हो और 31.03.2017 के पूर्व स्वीकृत हुई हो, प्रत्येक समाश्वासन वर्ष की बाबत् पूरी बीमाकृत राशि के लिए, बीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, के प्रत्येक हजार पर 112.5/- रूपये प्रतिवर्ष का साधारण प्रतिवर्ती बोनस।

3 31.03.2017 के पश्चात् और अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक परिपक्वता एवम् मृत्यु दावों में परिणित होने वाली उन समाश्वासन संविदाओं पर जो 31.03.2017 को या उसके पश्चात् स्वीकृत हुई हो, प्रत्येक समाश्वासन के लिए निम्न प्रकार से अंतरिम बोनस :-

(1) सावधि समाश्वासन की बीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, पर 90/- रूपये प्रति हजार प्रतिवर्ष।

(2) आजीवन समाश्वासन की बीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, पर 112.5/- रूपये प्रति हजार प्रतिवर्ष।

4 अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक परिपक्वता दावों में परिणित होने वाली पॉलिसियों के बाबत् समाश्वासन के प्रारंभ होने से लेकर परिपक्वता की तारीख तक प्रत्येक समाश्वासन वर्ष के लिए, बीमाकृत राशि जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, पर प्रति हजार 4/- रूपये की दर से पर्यवसायी (टर्मीनल) बोनस (अंतरिम बोनस के अतिरिक्त)।

5 उपरोक्त पैरा 1, 2 एवम् 3 में उल्लेखित बोनस की दरें उन समाश्वासन संविदाओं पर लागू नहीं होगी जो इस आदेश के जारी होने के पूर्व परिपक्वता एवम् मृत्यु दावों में परिणित हो गये है, और ऐसी समाश्वासन संविदाऐं आदेश संख्या प.13 (30)वित्त/राजस्व/76 लूज दिनांक 05.10.2018 द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार निपटायी जायेंगी।

आज्ञा से,

07/6/2021

(वेद प्रकाश गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव,

वित्त (बीमा) विभाग

कमरा नम्बर 7307, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर 302005, दूरभाष नम्बर 0141-2385649,
ई-मेल : jsfi@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. समस्त कलक्टर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

07/6/2021
संयुक्त शासन सचिव,

निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ 19/बीमा/व्य0एवंप0/2003–04/ 507-557 दिनांक: 09.6.2021

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) मुख्यालय जयपुर को विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं आवश्यक संशोधन हेतु ।
4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त संभाग कार्यालय।
5. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त जिला कार्यालय।
6. पर्यवेक्षक बीमा (मूल्यांकन/लेखा एवं अंकेक्षण/आन्तरित जॉचदल) अनुभाग, मुख्यालय जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली।

9/6/2021
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर।

कमरा नम्बर 7307, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर 302005, दूरभाष नम्बर 0141–2385649,
ई–मेल : jsfi@rajasthan.gov.in